न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 91/2008

1 शेरसिंह पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 बजरंग श्री पालाराम जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 मु. पतास बेवा श्री पालाराम जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र श्री सेडूराम जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2 असमाल पुत्र श्री सेडूराम जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) दौराने दावा फोत
2/1 सुभाष चन्द्र पुत्र श्री असलाम जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2/2 राजेन्द्र पुत्र असलाम जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2/3 विजेन्द्र पुत्र श्री असलाम जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
2/4 बिरमा देवी पुत्री असलाम पत्नी रघुवीरसिंह पुत्र झुथाराम जाति जाट निवासी बडसरी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2/5 माया देवी पुत्री श्री असलाम पत्नी श्री सज्जन पाल पुत्र श्री झुथाराम जाति जाट निवासी बडसरी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
3 मु. रुकमा बेवा किशना जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) दौराने दावा फोत
4 मु. चमेली पुत्री श्री किशना पत्नी श्रीराम पत्नी श्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
5 मु. रोशमी पुत्री किशना पत्नी चन्दगीराम जाति जाट निवासी खानपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
6 रोशनी पुत्री किशना पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी बडसरी का बास तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
7 मु. औमकौर पुत्री श्री पालाराम पत्नी श्री देवी सहाय जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8 मु. शान्ति पुत्री श्री पालाराम पत्नी श्री बनवारी लाल जाति जाट निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
9 श्रीमति अनिता देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
10 श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री कंवल सिंह जाति जाट निवासी रूपपुरा हाल तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
11 सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)
12 श्री कंवल सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी रूपपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)
13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2008
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
बमुकदमा उनवानी शेरसिंह आदि बनाम
रामचन्द्र आदि दावा संख्या 428/2007

उपस्थिति :

1. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.3.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 428/2007 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहॉ दावा संख्या 428/2007 उनवानी शेरसिंह बनाम रामचन्द्र आदि इस आशय का पेश किया है कि भूमि गत खसरा नम्बर 4 वाके ग्राम रूपपुरा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस की खातेदारी की थी तथा भूमि खसरा नम्बर 5 अपीलान्टस/वादीगण की खातेदारी की थी, जिसके नामान्तकरण संख्या 29 व 31 दिनांक 15.06.1960 को मंजुर हुए उनमें अपीलान्टस की भूमि खसरा नम्बर 5 को नामान्तकरण संख्या 29 में काट करके खसरा नम्बर 4 रकबा 13 बीघा 19 बिश्वा कर दिया गया व नामान्तकरण संख्या 31 में खसरा नम्बर 4 को काट कर खसरा नम्बर 5 रकबा 19 बिघा 2 बिश्वा कर दिया गया और उन गलत नामान्तकरणों के आधार पर आगे का गलत राजस्व रिकार्ड बनता रहा। इसके अलावा अपीलान्टस ने अपने वाद पत्र में यह भी दर्ज किया है अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस एक ही परिवार के व्यक्ति है। उपरोक्त आधार पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्टस ने अपने वाद पत्र में भूमि हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 1.01 हैक्टर की खातेदारी अपने हक में घोषित करवानी चाही व खसरा नम्बर 5 की दक्षिणी तरफ की 0.29 हैक्टर भूमि भी अपने हक में घोषित करवानी चाही। दावा दायरी के बाद रेस्पोडेन्टस को अदालत मातहत में तलब किया तो रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्टस के क्लेम को सही मानते हुए भूमि हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 1.01 हैक्टर अपीलान्टस/वादीगण की मानते हुए व अपीलान्टस का ही कब्जा मानते हुए राजीनामा कर लिया और राजीनामा अदालत मातहत द्वारा तस्दीक कर लिया और राजीनामा अदालत मातहत द्वारा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली भी किया गया। अदालत मातहत को गत राजस्व रिकार्ड व राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किया जाना चाहिए था परन्तु अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने अपने निर्णय दिनांक 02.08.2008 के द्वारा वादीगण/अपीलान्टस का वाद खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड सवंत 1999 से संवत 2035 का पेश किया उस राजस्व रिकार्ड व वादीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अभिवचनों को नहीं देखा है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे केवल मात्र संवत 2049 से 2052 व संवत 2053 से 2057 व संवत 2057 से 2060 की जमाबन्दीयों को आधार मानकर वाद पत्र को खारिज कर अहम कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने अभिवचनों में उठाये गये विवादित बिन्दुओं की बाबत अपना कोई निर्णय पारित न कर अहम कानूनी गलती की है। अदालत मातहत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह उप धारणा करके कि मामला स्टाम्प डयुटी से बचने से किया जाना प्रतीत होता है लिखकर इति श्री करली जबकि अपीलान्टस द्वारा विवादित बिन्दु को अपने वाद पत्र में अच्छी तरह प्लीट किया है। वाद पत्र में राजस्थान सरकार पक्षकार है राजस्थान सरकार ने कोई इस तरह का उज्र नहीं लिया है कि सरकार को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्व की हानि हो रही है फिर भी अदालत मातहत ने सरकार को राजस्व की हानि मानकर वाद पत्र को खारिज करने की अहम कानूनी गलती की है। पक्षकारान में आपस में राजीनामा हो गया था और राजीनामा भी राजस्व रिकार्ड के अनुसार होने से अदालत मातहत वाद पत्र डिक्री किये जाने के लिए बाध्य थी परन्तु फिर भी अदालत मातहत ने वाद पत्र खारिज करने की अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किये जाने में उन्हें एतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा डिक्री करने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने स्टाम्प ड्युटी से बचने का अंकन कर वाद वादी खारिज किया है। इस संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2009(2) पेज 1293 में अभिनिर्धारित किया है कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53 व 88–विभाजन हेतु वाद–राजीनामा के आधार पर डिक्री चाही–निचले न्यायालयों ने डिक्री प्रदान करने से इन्कार किया क्योंकि भूमि केवल रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज थी–राजीनामा से यदि विचारण न्यायालय सहमत नहीं था, उसे तनकीयात बनाकर मेरिट्स पर निर्णय देना चाहिये था–निर्णित, निर्णय अपास्त किये तथा मामला मेरिट पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया"।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित नहीं किया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को गुणावगुण विवेचन कर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.05.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.3.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर